

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या: 2132 / XXXI (13)G-65 (सू0अ0) / 2012

देहरादून: दिनांक 28 जून, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।
(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं:

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

- (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
- (ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
- (ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
- (घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
- (ङ) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रु0 12,000/- (रु0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
- (च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,
- (छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज-पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक

प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:-

(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्कट, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

क.

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- 5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

- (ख) बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

- (ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

- (घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

- (ड) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हैं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।
- (च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।
- (छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।
- (ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अननुपाती रूप से परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अननुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना हेतु शुल्क:

- 6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्, परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 20.00 मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी0डी0/डी0वी0डी0; और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र (दो रुपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए'4 साईज के) या तैयार करने में

रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्च पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बीपीओएल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व:

7.(क) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा-8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(अ) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष

63

- 6 -

द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8(1)(ज), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय

6.

अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

9.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोग:-

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त

6. 8-

उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फ्रेंस से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेंस प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण

6. 11

के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी:-

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;

(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती;

(तीन) साधारण डाक द्वारा; या

(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पाँच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा।

(छः) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छः) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पाँच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

6.

(ड.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:-

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाएंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हों। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ड.) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां

निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।
- (ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।
- (ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।
- (घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।
- (ङ.) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील की पत्रावली में रखी जायेगी।

- (च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

12. यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियां:-

- 13.(क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

- (ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव।

संख्या: /XXXI(13)G-65 (सू0अ0)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 1-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2-प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड
- 3-सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।
- 4- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस नियमावली का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 7-समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0एस0 वल्लिया)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 2/32/XXXI(13)G-65(सू०अ०)/2012, dated 28-6-2012 for general information.

Government of Uttarakhand
General Administration Section
NO:2/32/XXXI (13)G-65(सू०अ०) /2012
Dehradun: Dated 28 June, 2013

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act no.22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Right to Information Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (i) These Rules may be called the Uttarakhand Right to Information Rules, 2013.
- (ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

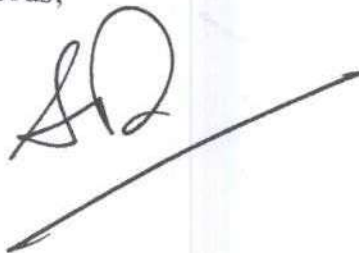
Definitions:

2. In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context:-

- a) "Act" means the Right to Information Act, 2005,
- b) "Section" means the section of Right to Information Act, 2005,
- c) "Commission" means the Uttarakhand State Information Commission,



- d) "State Government" means the State Government of Uttarakhand,
- e) "B.P.L." means the person living below poverty line having an annual income of less than Rs.12000/- (Rs. Twelve Thousand)
- f) "First Departmental Appeal Officer" means the officer designated under section 19(1) for disposal of first appeal filed under sub section (1) of section 19 of Right to Information Act,
- g) "Information" means the records held in electronic form, document, memorandum, e-mail, opinion, advice, press note, circular, order, log book, contract, papers, sample, model, material related to data, including any information in any form, any material related to any private body which can be reached by any Public Authority under any other law in force for the time being.
- (h) A 'Record' includes the following:-
- (a) Any document, manuscript or file,
 - (b) Any microfilm, microfiche or facsimile copy of a document,
 - (c) Any reproduction of image or images embodied in such microfilm (Whether enlarged or not)
 - (d) Any other material produced with the help of a computer or through any other device.
- i) "Right to Information" means the right to information accessible under the Right to Information act, 2005 which is held by or is under the control of any Public Authority and includes the right to-
- (i) inspect any work, document, record;
 - (ii) take notes, extracts or certified copies of documents or records;



(iii) take certified samples of materials;

(iv) obtain information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

j) Words and expressions used in these rules but not defined here shall have the same meaning as defined in the Right to Information Act, 2005.

Prescribing information for self disclosure by the State Government

3. The State Government may, from time to time, prescribe the information to be disclosed suo moto by any public authority or public authorities and its updation by publishing it in official gazette of the State Government. The prescribed information shall be published by the Public Authority in electronic form within 60 days from the date of prescribing the information. The Public Authority shall interlink the prescribed information for suo moto disclosure in electronic form throughout the country through computer network or internet. The Public Authority shall update the prescribed information in the form as specified by the State Government.

Language of Application

4. Application for obtaining information shall be made in Hindi Devanagari script or in English.

Procedure for obtaining information

5. (a) For obtaining 'information' under sub section (1) of section (6) of the Act, an application along with prescribed application fee shall be submitted to the Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of the Public Authority.

(b) Application for 'information' from citizens other than B.P.L. category, not accompanying the amount of prescribed fee after depositing the prescribed fees the information shall be provided. The PIO shall send a notice to the applicant that the RTI application will be processed only on payment of application fee and that the 30-day time limit will commence upon payment of application fee.



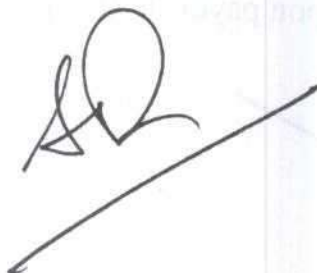
(c) On applicant's request for information in the application which is under custody or control of other Public Authorities, the Public Information Officer shall provide information, if any, relating to his Public Authority or under the custody or control of his Public Authority to the applicant and for information concerning the other Public Authority the application shall be transferred to the Public Information Officer of such other Public Authority.

Provided that in case the number of other Public Authorities is two or more, the application shall not be transferred, instead, after providing the information under the custody or control of his Public Authority the applicant shall be asked to apply separately to the concerned Public Information officer for remaining information.

(d) In case the applicant seeks information for which it is not clear under which Public Authority's custody or control the information is available and as such it is not possible to transfer the application to the concerned Public Authority, the Public Information Officer, after providing the information, if any, which is under the custody or control of his Public Authority shall return the application to the applicant for remaining information and inform him of the situation.

(e) Request for 'information' may be made for such 'information' which is defined as 'information' under clause (f) of section (2) of the Act and is under the custody and control of the Public Authority. On requests for information other than defined in the Act, the Public Information Officer shall inform the applicant that the 'information is not held'.

(f) In case the 'information' requested in application not being clearly identified within a week after receiving the application, the Public Information officer shall inform the applicant for clearly identifying the required information by letter or by inspecting the disclosable 'information' of the Public Authority. After the applicant has inspected and identified the information and on informing the Public Information Officer, the 'information' shall be provided to the applicant as per procedure within the prescribed period.



(g) In case of non acceptance of request for providing information the Public Information Officer shall inform the applicant the reason for non acceptance of his request mentioning the relevant provisions of the Act and the Rules. The Public Information Officer shall inform the applicant the time limit for filing appeal against non admittance of the request and also details of the designation and address of first appeal officer.

(h) The information required by the applicant shall be provided in the same form in which it has been asked unless the resources of Public Authority are disproportionately diverted in providing the information or is detrimental to the safety or preservation of records of the required information. After getting inspected the information by the applicant the information shall be provided to the applicant by the Public Information Officer in the form in which providing information the resources of the Public Authority are not disproportionately deviated.

Fees for information:

6 (a) For information under sub- section (1) of section 6 of the Act, payment of Rs.10.00 as application fee along with application may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian postal order, treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of Public Authority;

(b) For additional fee as cost of information under sub-section (3) of section 7 of the Act, the payment may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information officer of Public Authority at following rates; namely-

Provided that no fees shall be payable by the persons living below poverty line.

(i) Rs.2.00 (Rs. Two only) for A-3 or A-4 size page (Photo copy or ready information) and actual cost for a size bigger than this.

(ii) (ii) For first hour of inspection of records no charges shall be payable. Thereafter Rs. 5.00 (Rs. Five only) for an hour or part thereof shall be payable as fee.



(iii) Fees for copies of models and samples is to be paid as per actual cost.

(c) For providing information in printed or electronic form under sub-section (5) of section 7 of the Act, fees shall be payable under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan or non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer of the Public Authority at the following rates, namely:-

(i) Rs. 20.00 (Rs. Twenty only) per CD/DVD for information on CD/DVD, and

(ii) In case of a printed publication, its prescribed price or Rs. 2.00 (Rs. Two only) per page for photocopy of extracts of such publication.

(d) For request of information from persons belonging to B.P.L. category the provision of fees shall be as under:-

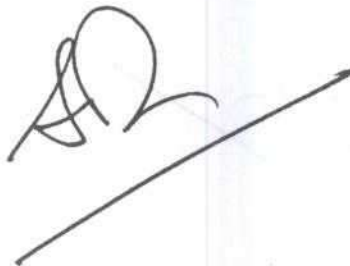
(i) In case the required information concerns persons of B.P.L. category or his own family the information shall be provided free of cost.

(ii) In case the required information concerns a person other than B.P.L category person or member of his family and the information can be provided in 50 photocopy pages (A-4 size) or not costing more than Rs. 100/- (Rs. One hundred only), the information so required shall be provided free of cost. In case the requested information exceeds this limit, the BPL category person may be permitted to inspect the records and take notes or obtain photocopies at his own expense.

Provided that persons living below poverty line shall have to enclose, along with the application, a copy of B.P.L card attested by the applicant himself.

Obligations of State Public Information Officer:

7. (a) The applicant, as far as possible, shall be informed about the additional fees mentioned in clause (b) and (c) of rules (5) within a week from the date of receipt of application.



(b) Third party information shall be provided to the applicant as per the procedure prescribed in section 11 of the Act.

(c) The information mentioned under section 8(1) of the Act, which is exempted from disclosure, shall not be provided on request of the applicant by the Public Information Officer.

Provided that in the larger public interest the Public Authority may allow access to the information exempted from disclosure under section 8(2) of the Act.

(d) Personal information under section 8(1) (j) of the Act not related to public activities or public interest or the disclosure of which amounts to undesirable invasion of privacy of any person, shall not be disclosed, except when the Public Information Officer or the Appeal Officer is satisfied that in the larger public interest the disclosure of such information is justified.

First appeal before the Departmental Appeal Officer

8. (a) While preferring an appeal against Public Information Officer's disposal order under section 19 of the Act, the applicant shall have to enclose a copy of request letter and the letter of disposal of request letter by Public Information Officer. The grounds of appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(b) In case of disclosure of third party information, order of Public Information Officer, information required from the third party and the statement made by the third party shall be enclosed with the appeal preferred against the order of the Public Information Officer. The grounds of Appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(c) The views of the Public Information Officer, if required, shall be taken by the First Appeal Officer on the Appeal filed by the applicant. The appellant may be directed to present himself, if so required, for the proper disposal of Appeal.

(d) The First Appeal Officer shall dispose off the first Appeal, as far as possible, within the period mentioned in the Act. Where the Appeal is not disposed off within the prescribed period of thirty days, the First Appeal Officer may dispose off the First Appeal within a period not



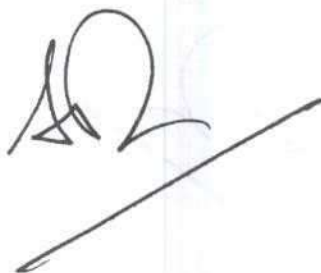
more than 45 days. The reasons for extending the time limit shall be recorded. A copy of the order of disposal of Appeal shall be provided to the appellant and to the Public Information Officer free of charge.

(e) The First Appeal Officer, while hearing the Appeal, shall inquire whether the Public Information Officer has refused the disclosure of personal information as per provisions of section 8(1)(j) of the Act. The Public Information Officer has not refused disclosure such personal information which is related to public activities and interest or which does not unnecessarily violate the privacy of the person or the disclosure of which is justified in the larger public interest.

(f) While considering the appeal the First Appeal Officer shall satisfy himself whether 'information' sought by the applicant can be disclosed or not, the disclosable information has been provided to the applicant within prescribed time or not, the information, the disclosure of which has been refused by the Public Information Officer is exempted under section 8 of the Act or not, whether the disclosure of the information requested for is found proper in the larger public interest, by the Public Authority under Section 8(2) of the Act. The 'information' the disclosure of which is not exempted under Section 8 and satisfaction has been made that under the provisions of Section 8(1)(j) and Section 8(2) of the Act that in larger public interest the disclosure of requested information is necessary and the 'Information' has not been released to the appellant, the Public Information Officer on the direction of the Appeal Officer shall make available the said information to the applicant within a week after taking the prescribed fees.

(g) On disclosure of the fact that the information sought by the applicant was not provided to the applicant for not being clearly identified the first Appeal Officer shall direct the applicant to clearly identify the required information in writing or after inspecting the concerned records of the Public Authority after paying the prescribed fee. The First Public Authority shall order to provide the information identified by the applicant after receiving the prescribed fees from the applicant.

(h) The first Appeal Officer shall record his comments on the points indicated in the above mentioned sub-rules in the decision on the



Appeal and shall direct the Public Information Officer to disclose the information which is not exempted from the disclosure.

Second Appeal in Information Commission

9. (a) While preferring second appeal under section 19 of the Act before State Information Commission the appellant shall enclose copies of applicant's request letter, letter of disposal of request letter of Public Information Officer, order of disposal by First Appeal Officer along with applicant's second appeal. It is necessary to mention clearly the grounds of second appeal.

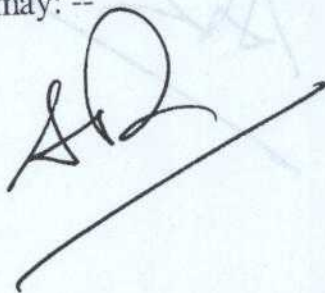
(b) On filing second appeal by the appellant the Commission shall adopt the following procedure:

(i) In the second appeal, the concerned Public Information Officer and Departmental Appeal Officer as, required, shall be made respondents. Any other officer/authority shall not be made respondent in the second appeal.

(ii) On the grounds mentioned by the appellant in his second appeal the Public Information Officer and first Appeal Officer shall be given opportunity to submit their replies in writing.

(iii) In Second Appeal the Commission shall inquire whether the 'information' requested by the applicant has been provided to him as per provisions of the Act or not. The Commission in the Second Appeal shall also inquire whether the First Appeal Officer, as per provisions of the Act, directed the Public Information Officer to release information to the applicant or not, the Public Information Officer released the 'information' within the prescribed time limit or not, whether any harm was caused to the applicant due to non disclosure of disclosable information, if so, what is the evaluation of the harm caused to the appellant. After making necessary inquiry on the above mentioned points, the Commission will pass orders on the Second Appeal.

(iv) The State Information Commission, while deciding an appeal may: --



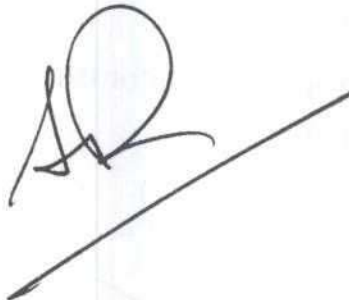
- (A) receive oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested persons;
- (B) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
- (C) inquire through authorized officer further details or facts; and
- (D) receive evidence on affidavits from the Public Information Officer, Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority and any such other person against whom the appeal lies or the third party.

(v) In the Second Appeal only the matter of disclosure of requested information within the prescribed time shall be considered. In the Second Appeal, as per clause (iii) above the State Information Commission shall inquire into the subject, in question, of the Second Appeal. No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question.

(vi) In the Second Appeal the Public Information Officer shall be given an opportunity to submit his case on the Second Appeal. No interim order shall be passed by the Commission thereafter for taking action on any subject other than included in the Second Appeal. The Second Appeal shall be disposed off, as far as possible, within 90 days and latest within 120 days.

(vii) In the order of Second Appeal the Information Commission may, if required, direct with regard to disclosure of information or access to information as provided in section 19 (8) of the Act.

(viii) While disposing off the Second Appeal the Public Information Officer and First Departmental Appeal Officer or any other Officer shall not be directed to be present during the hearing. In cases wherein the Commission feels necessary it shall direct the Public Information Officer to be present during the Second Appeal, the reasons of which shall be recorded in writing.

A handwritten signature, possibly reading 'A. R.', is written above a long, straight diagonal line that extends from the bottom left towards the middle right of the page.

(ix) In the cases of Second Appeal in which the Commission considers it proper to know through video conference, the case of Public Information Officer or other Officer and their presence is required, it may do so. The facility of video conferencing of the State Government shall be provided to the Commission by the State Government for hearing Second Appeal or complaint.

(x) On being satisfied during Second Appeal that it is necessary to impose penalty upon Public Information Officer under section 20 of the Act, the Public Information Officer after serving a show cause notice to him shall be given an opportunity to explain the reasons. After the Public Information Officer has submitted his case or on the expiry of prescribed limit, the Commission shall impose penalty against the Public Information Officer as per section 20 of the Act. The action of imposing penalty against the Public Information Officer shall be initiated along with the disposal order of the Second Appeal. The disposal of Second Appeal shall not be kept pending for initiating the process of imposing penalty.

(xi) While inquiring into an appeal the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

(c) (i) While preferring appeal in the Commission against the order of Public Information Officer in the matter of disclosure of information regarding third party, the order of Public Information Officer, information sought from the third party and statement submitted by the third party shall be enclosed along with the appeal. The grounds of appeal shall clearly be stated in the appeal.



(ii) The Commission shall give opportunity to the third party to present its case in the appeal proffered as per above sub-clause (one).

(iii) For disposal of appeal the Public Information Officer and the third party shall be given opportunity to present their case in writing.

(d) The Commission shall send first notice to the concerned person by registered post/speed post thereafter subsequent notice to concerned person shall be served in the following way:-

- (i) through the party itself;
- (ii) through the server by hand;
- (iii) by ordinary post, or
- (iv) through Head of Office or Head of the Department.
- (v) by E-mail through internet or by SMS.
- (vi) by registered post with acknowledgement due or speed post.

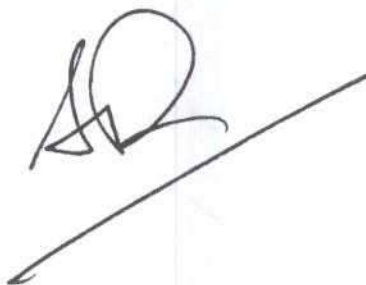
Provided further that the delivery may be made by fifth mode only in case it is not possible by other five means as per clause (vi).

(e) Following procedure shall be adopted by the Commission for hearing the appellant or the parties:-

(i) The appellant or the respondent, as the case may be, may take assistance of any person for the purpose of presenting his case in the process of Appeal.

(ii) The orders of the Commission shall be delivered in open and shall be authenticated in writing by the officer or secretary authorized in this behalf.

(iii) After the order of the Commission is passed it will be uploaded by the Commission on its website as early as possible.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act

10. (a) The Commission shall enquire into the complaint filed for reasons mentioned in clause (a) to (f) of section 18 (1) of the Act.
- (b) The complainant shall clearly indicate in his complaint the ground or grounds under which clause (a) to (f) of sub section (1) of section (18), the complaint has been lodged.
- (c) The copy of complaint shall be sent to the Public Information Officer or Principal Public Authority, as the case may be, and they will be given an opportunity to present their case in writing, on the complaint.
- (d) The Commission may, as may be required, take evidence of all such persons whom he considers necessary for the inquiry of the complaint and call and inspect such records which are necessary for enquiring into the complaint.
- (e) The Commission may, inquire into the complaint and impose penalty to punish the Public Information Officer who contravenes the provisions of the Act, as per Section 20 of the Act. Prior to imposing penalty, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter after properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice the Commission shall pass appropriate orders.
- (f) While inquiring into a complaint the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission:

11. (a) The penalty imposed on Public Information Officer or compensation imposed on Public Authority may be recovered on



expiry of three months period from the date of order passed in second appeal or complaint, as the case may be.

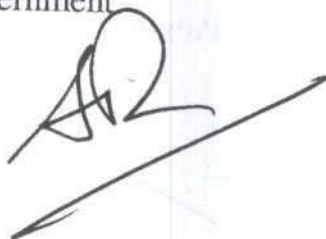
(b) The Commission may pass orders to recover the imposed penalty in not more than three instalments on imposition of a penalty on Public Information Officer by the Commission, a copy of such order shall be provided to Public Authority of Public Information Officer for the purpose of recovery of the penalty who will on receipt of the order will send acknowledgement of the same to the Commission with the intention that the penalty has been noted for the purpose of recovery.

(c) Upon Passing an order against a Public Authority for award of compensation to an appellant or complainant by the Commission, a copy of such order shall be provided by the Commission itself to the Public Authority for the purpose of recovery who will send acknowledgement of the same to the Commission indicating that the compensation amount has been noted for payment to the appellant or complainant and for recovery of the same amount from such concerned officers as the Public Authority may deem fit.

(d) After receiving the order from the Commission under clause (b) and (c) and forwarding the acknowledgement of the same to the Commission by the Public Authority, the responsibility of recovering the penalty or compensation shall be of the Public Authority under clause (a).

(e) For the purpose of recovery of penalty or compensation it shall be sufficient to provide the concerned Public Authority a copy of penalty order or compensation order. The Head of Public Authority shall recover the amount of penalty or compensation after three months but within a period not more than six months. On recovery of the said amount the Head of Public Authority shall inform the Commission about the details of recovery of the amount. The said information shall be kept in the file concerning the Second Appeal by the Commission.

(f) Recovery of penalty or compensation by the Public Authority, depositing it with exchequer or payment to the applicant, as the case may be, shall be done in a manner as prescribed from time to time by the State Government

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'A2' followed by a long horizontal stroke.

Power to remove difficulties:

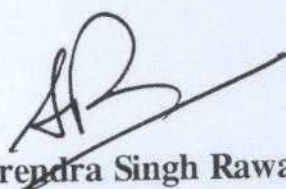
12. If any difficulty arises in effective implementation of these rules the State Government may pass such orders as may be necessary and expedient to remove such difficulties.

12

Repeal and Savings

13. (a) The Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 are hereby repealed.

(b) Notwithstanding the Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 being repealed, any act done or document issued under the said rules, unless not inconsistent with these rules, shall be deemed to be done on issued under these rules.



(Surendra Singh Rawat)
Secretary